भारत संघ व अन्य

बनाम

केंद्रीय विद्युत और यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा (सी. ई. और एम. ई. एस.) समूह 'ए' (प्रत्यक्ष अभिलेख) संगठन, सी. पी. डब्ल्यू. डी. और अन्य

1 नवंबर, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण]

प्रशासनिक कानून - कार्यकारी आदेश - संवर्ग का पुनर्गठन उसके संदर्भ में - वैधता - निष्कर्ष: कार्यालय आदेशों के आधार पर विभिन्न संवर्गों के एकीकरण को कानून से परे बनाने की मांग की गई थी। नियमों के तहत परिकल्पना के अनुसार मंजूरी जो अनुमेय नहीं है - कार्यालय आदेश नियमों के अनुरूप पारित किए जाने चाहिए - मंत्रालय शहरी कार्य और रोजगार (शहरी विकास विभाग) केंद्रीय अभियांत्रिकी (सिविल) समूह 'ए' सेवा नियम, 1996 - सेवा विधि

कानून केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कार्यालय आदेश 1.8.2002 और 11.3.2002 को जारी किए। संवर्ग संख्या के पुनर्गठन का तात्पर्य केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा समूह 'ए' में सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न विषयों के बीच। प्रत्यर्थी ने आदेशों की वैधता को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने आदेशों को अस्थिर माना। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। अतः वर्तमान अपील पेश हुई।

याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा ,

1.1 . एक कार्यकारी आदेश अनुरूपता में नियमों के साथ पारित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की कार्यपालिका जारी करने की शक्ति निर्देश अंतराल को पूरा

करने तक सीमित हैं। जो अन्यथा मौजूदा नियमों के दायरे में नहीं आया है। कार्यालय आदेश वैधानिक नियमों के अधीन होने चाहिए। [पैरा 10][868-अ,ख]

संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, **(1967) एससी 1910** और डी. डी. ए. और अन्य बनाम जोगिंदर एस. मोंगा व अन्य,**[2004]2 एस. सी. सी. 297, पर भरोसा किया।**

1.2 दिनांक 1.8.2002 और 11.3.2003 के आदेश वैधानिक नहीं हैं। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के विषय कार्य विभाग अलग और विशिष्ट हैं। उक्त कार्यालय के आदेश बशर्ते कि सिविल और सिविल सहित उसमें निर्दिष्ट विषय इलेक्ट्रिकल को जोनल हेड के नियंत्रण में काम या तो मुख्य अभियंता (सिविल) या मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिकल) में करना था। इसमें इनकार या विवादित नहीं किया गया है कि मुख्य अभियंता (विद्युत) का पद, नियमों के दायरे से बाहर था। सिविल इंजीनियर के सभी पद इन सभी चारो में केंद्रीय लोक कार्य विभाग के हैं। आक्षेपित आदेशों के कारण, किसी प्रकार का विभिन्न संवर्गों के एकीकरण की मांग की जाती है नियमों के तहत परिकल्पित कानूनी मंजूरी, कानून में अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि मंत्रालय का नागरिक और विद्युत का विलय करने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार, कार्यालय के आदेश स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करते हैं वैधानिक नियमों को लागू करने के लिए एक पद बनाया जाएगा जिसे मुख्य अभियंता के रूप में नामित किया जाएगा। सिविल या इलेक्ट्रिकल, जो दो अलग-अलग धाराओं से संबंधित है। [पैरा 9] [867-डी, ई, एफ, जी, एच; 868-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्रधिकार: सिविल अपील सं. 5086/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.05.2006 रिट याचिका (सी) संख्या 13604-05/2004 और सीएम नं. 9506 /2004 और 2006 / 4393।

आर.मोहन, एएसजी, सुनील रॉय और वी.के.वर्मा (अपीलार्थी)

राजीव दत्ता, उदय गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार सिन्हा (प्रत्यार्थी)

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा सीएम नंबर 9506/2004 और 4393/2006 और डब्ल्यूपी (सी) नंबर 13604/2004 में पारित एक फैसले और आदेश दिनांक 24.5.2006 के खिलाफ निर्देशित है। और 13605/2004 मूल आवेदन संख्या 864/2003 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2003 को खारिज कर देता है।

3. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है।

4. केंद्र सरकार से संबंधित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अपने स्वयं के सेवा नियम हैं जो अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत बनाए गए हैं।भारत के संविधान में, शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) केंद्रीय इंजीनियरिंग (सिविल) समूह ए सेवा नियम, 1996 (नियम) के रूप में जाना जाता है। उक्त नियम 28.10.1996 से लागू हुए। जबकि नियमों का नियम 3 सेवा के गठन का प्रावधान करता है, नियम 4 ग्रेड, ताकत और उसकी समीक्षा का प्रावधान करता है। नियमों से जुड़ी पहली अनुसूची केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा, ग्रुप ए में पदों के लिए प्रदान करती है। इसमें अधिकारियों का पदानुक्रम भी प्रदान किया गया है। नियम भर्ती के क्षेत्र के साथ-साथ कैडर की संख्या को भी नियंत्रित करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उक्त संवर्ग से संबंधित कर्मचारियों के नियम और शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं,

1.8.2002 को या उसके आसपास एक कथित कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न विषयों के बीच अंतःविषय समन्वय बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जोनल स्तर पर सीपीडब्ल्यूडी के सभी 4 विषय, अर्थात, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आर्किटेक्चर और बागवानी, जोनल प्रमुख के प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत काम करेंगे। मुख्य अभियन्ता। एक क्षेत्र में सभी विषयों के अधिकारी अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और मुख्य अभियंता को रिपोर्ट करेंगे जो आगे एडीजी (क्षेत्र) को रिपोर्ट करेंगे। यह प्रणाली निम्नलिखित दिशानिर्देशों के तहत कार्य करेगी:-

(i) प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व एक सीई (सी) या सीई (ई) द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक सीई (ई) एक क्षेत्र का नेतृत्व करेगा।

5. 11.3.2003 को या उसके आसपास, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रमांक 34/03 वाला एक अन्य कार्यालय आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था;

> "विषय: एकीकृत नियंत्रण के लिए एडीजी (एसएंडपी) के अधीन नई दिल्ली क्षेत्र में क्षेत्रों का पुनर्गठन।
>
> शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 28017/2/2002- ईडब्ल्यू.
>
> 1. दिनांक 1.8.2002 के अनुसरण में और सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न विषयों के बीच अंतःविषय समन्वय बनाए रखने के लिए, डीजी (डब्ल्यू) सीपीडब्ल्यूडी को पुनर्गठित करने में प्रसन्नता हो रही है। परीक्षण के आधार पर एनडीजेड-1 और एनडीजेड-2 और इलेक्ट्रिकल जोन, नई दिल्ली क्षेत्र के बीच सर्कल और डिवीजन। इस प्रकार

पुनर्गठित विद्युत क्षेत्र (एनडीआर) को नई दिल्ली जोन-5 के नाम से जाना जाएगा।

2. एक ज़ोन में सभी विषयों के अधिकारी अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ज़ोन के मुख्य अभियंता को रिपोर्ट करेंगे, जो आगे एडीजी (एसएंडपी) को रिपोर्ट करेंगे।

3. जोनल प्रमुख के रूप में मुख्य अभियंता, सिविल या इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों कार्यों के लिए अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

4. एसई की प्रत्यायोजित शक्तियों के ऊपर अनुमानों की तकनीकी मंजूरी की सुविधा के लिए, जोनल सीई के पास अपने एसई (पी) इकाई में अन्य अनुशासन से एक ईई (पी) होगा। असाधारण मामलों में किसी भी अनुशासन का सीई अन्य विषयों के अनुमानों की तकनीकी मंजूरी की व्यवस्था के लिए क्षेत्र के एडीजी से संपर्क कर सकता है।"

6. उक्त आदेशों की वैधता और/या औचित्य पर दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ के समक्ष सवाल उठाया गया। ट्रिब्यूनल ने मामले पर कुछ हद तक विचार करने के बाद राय दी कि दिनांक 1.8.2002 और 11.3.2003 के उक्त कार्यालय आदेशों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा कैडर शक्ति का कथित पुनर्गठन पूरी तरह से अस्थिर था। इसलिए मूल आवेदन स्वीकार कर लिया गया।दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आक्षेपित फैसले के आधार पर ट्रिब्यूनल के उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की।

7. इस अपील के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आर. मोहन ने कहा कि ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे इस पर विचार करने में विफल रहे हैं। इस बात पर विचार किया गया कि नियमों में संशोधन करके कैडर का पुनर्गठन करना आवश्यक नहीं था। यह तर्क दिया गया कि उक्त कार्यालय आदेशों के अनुसार, न तो कैडर की ताकत में कोई बदलाव हुआ और न ही किसी की वरिष्ठता, वेतन पैकेट या कोई अन्य लाभ प्रभावित हुआ, नियमों में संशोधन पूरी तरह से अनावश्यक था।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव दत्ता ने प्रस्तुत किया कि कार्यालय आदेश स्पष्ट रूप से भारत संघ द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि इसके कारण एक और पद सृजित होता है जो क़ानून के तहत इस पर विचार नहीं किया गया ।

9. उपर्युक्त कार्यालय आदेश दिनांक 1.8.2002 एवं 11.3.2003 वैधानिक नहीं हैं। वे प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 162 की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते हैं भारत के संविधान का. निर्विवाद रूप से, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के विषय अलग और विशिष्ट हैं। उक्त कार्यालय आदेशों में यह प्रावधान था कि सिविल और इलेक्ट्रिकल सहित उसमें संदर्भित विषयों को जोनल प्रमुख के नियंत्रण में काम करना था, जो या तो मुख्य अभियंता (सिविल) या मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिकल) थे। इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिकल या सिविल) का पद नियमों के दायरे से बाहर था। यह किसी भी मूर्खता से परे है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी चार विंगों में मुख्य अभियंता के पद हैं। नियम सिविल इंजीनियरों के पदों का प्रावधान करते हैं। जैसा कि आक्षेपित आदेशों के कारण, नियमों के तहत परिकल्पित कानूनी मंजूरी से परे विभिन्न संवर्गों के किसी

प्रकार के एकीकरण की मांग की गई है, हमारी राय में, कानून में भी इसकी अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि मंत्रालय का सिविल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम को विलय करने का कोई इरादा नहीं था, जो अलग-अलग भर्ती नियमों वाली दो अलग-अलग सेवाएं थीं। इस प्रकार, उक्त कार्यालय आदेश स्पष्ट रूप से वैधानिक नियमों के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि इसके कारण, एक पद सृजित किया जाएगा जिसे मुख्य अभियंता या तो सिविल या इलेक्ट्रिकल के रूप में नामित किया जाएगा, जो दो अलग-अलग धाराओं से संबंधित है।

10. अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक कार्यकारी आदेश नियमों के अनुरूप पारित किया जाना चाहिए। कार्यकारी निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति अंतराल को पूरा करने तक ही सीमित है जो अन्यथा मौजूदा नियमों द्वारा कवर नहीं किया गया है। (संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [एआईआर 1967 एससी 1910] और डीडीए और अन्य। बनाम जोगिंदर एस मोंगा और अन्य। [(2004) 2 एससीसी 297] देखें । ऐसे कार्यालय आदेश वैधानिक नियमों के अधीन होने चाहिए।

11. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील ख़ारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी किरण राठी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।